भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. 1192

जिसका उत्तर 09.02.2023 को दिया जाना है

प्रधानमंत्री गति शक्ति-राष्ट्रीय मास्टर प्लान

1192. श्री कृपानाथ मल्लाह:
श्री पी.पी.चौधरी:
श्री बृजभूषण शरण सिंह:
श्री संगम लाल गुप्ता:
डॉ.रमापति राम त्रिपाठी:
श्री प्रताप चंद्र षडड्.गी:
श्री महेंद्र सिंह सोलंकी:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रधानमंत्री गति शक्ति-राष्ट्रीय मास्टर प्लान की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ख) असम, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ओडिशा और मध्य प्रदेश में इस योजना के अंतर्गत अब तक कितनी धनराशि स्वीकृत आबंटित और उपयोग की गई है;

(ग) उक्त राज्यों में इस योजना के अंतर्गत अब तक कितनी सड़क परियोजनाओं को शामिल किया गया है;

(घ) उक्त राज्यों में इस संबंध में क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और हासिल किए गए हैं; और

(ड.) सरकार द्वारा उक्त राज्यों में उक्त परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री
(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान (एनएमपी) में आर्थिक विकास, बेहतर व्यापार प्रतिस्पर्धा, निर्यात को बढ़ावा देने और रोजगार सृजन आदि के लिए अंतर संपर्कता और मल्टीमॉडल परिवहन नेटवर्क के माध्यम से देश में सभी क्षेत्रों में समन्वित योजना और समग्र एकीकृत अवसंरचना विकास के लिए एक तंत्र की परिकल्पना की गई है। इसमें ऊर्जा संचरण, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार, सामाजिक अवसंरचना आदि की पूरक भूमिकाओं की सहायता से रेलमार्गों, सड़कों, बंदरगाहों, जलमार्गों, हवाई अड्डों, जन परिवहन, लॉजिस्टिक्स अवसंरचना जैसे विभिन्न अवसंरचना क्षेत्र की परियोजनाओं के बीच एकीकरण और तालमेल स्थापित करने की परिकल्पना की गई है, ताकि समन्वित और एकीकृत योजना, परियोजना की तैयारी और कार्यान्वयन, लॉजिस्टिक्स व्यवस्था को इष्टतम किया और कुशल परिवहन प्रणाली को सुविधाजनक बनाया जा सके।

इस योजना को बीआईएसएजी-एन (भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लिकेशन एंड जियोइन्फॉर्मेटिक्स) द्वारा एक डिजिटल मास्टर प्लानिंग टूल के रूप में विकसित किया गया है और इसे सभी

मंत्रालयों/विभाग की विशिष्ट कार्य योजना के डेटा को एक व्यापक डेटाबेस में शामिल करने के लिए जीवंत भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) प्लेटफॉर्म में तैयार किया गया है।

(ख) मंत्रालय मुख्य रूप से रारा के विकास और रखरखाव के लिए जिम्मेदार है। मंत्रालय की सभी रारा विकास परियोजनाओं की योजना पीएम गतिशक्ति एनएमपी सिद्धांतों के अनुरूप हैं।

मंत्रालय द्वारा पीएम गतिशक्ति एनएमपी के लिए अलग से कोई निधियां आवंटित नहीं की जाती हैं। पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान असम, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ओडिशा और मध्य प्रदेश राज्यों के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए आवंटित निधियों और व्ययित व्यय / जारी की गई निधियों का विवरण निम्नानुसार है: -

क्र.सं.	**राज्य**				**करोड़ रु. में**
		आंवटन	**व्यय***	**आंवटन**	**व्यय**
		2021-22	2021-22	2022-23 (**दिसंबर** 2022 **तक**)	2022-23 (**दिसंबर** 2022 **तक**)
1	असम	3,005.10	3,012.10	2,677.01	2,531.01
2	राजस्थान	11,324.11	11,334.11	6,612.54	6,374.54
3	उत्तर प्रदेश	11,146.18	11,210.18	13,135.50	12,441.50
4	ओडिशा	4,357.58	4,370.58	3,225.82	3,022.82
5	मध्य प्रदेश	8,661.29	8,610.29	4,210.52	4,008.52
***कुछ राज्यों में व्यय उनके आवंटन से अधिक था, हालांकि देश में कुल व्यय मंत्रालय में उपलब्ध समग्र बजटीय आवंटन के भीतर था।**					

(ग) और (घ) पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान असम, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ओडिशा और मध्य प्रदेश राज्यों के लिए रारा के निर्माण और सौंपने के लक्ष्य और उपलब्धियां निम्नानुसार हैं: -

					(लंबाई किमी में)
क्र.सं.	**राज्य**	**लक्ष्य**		**उपलब्धियां**	
		2021-22	2022-23	2021-22	2022-23 (**दिसंबर** 2022 **तक**)
सौंपना					
1	असम	318	901	223	170
2	राजस्थान	275	760	516	760
3	उत्तर प्रदेश	874	1,108	1311	351
4	ओडिशा	432	569	348	31
5	मध्य प्रदेश	755	652	805	245
निर्माण					
1	असम	435	442	318	182

					(**लंबाई किमी में**)
क्र.सं.	**राज्य**	**लक्ष्य**		**उपलब्धियां**	
		2021-22	2022-23	2021-22	2022-23 (**दिसंबर** 2022 **तक**)
2	राजस्थान	611	695	722	481
3	उत्तर प्रदेश	825	585	825	370
4	ओडिशा	605	352	544	187
5	मध्य प्रदेश	582	547	871	423

(ङ) मंत्रालय असम, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ओडिशा और मध्य प्रदेश राज्यों सहित विभिन्न राज्यों में सभी रारा परियोजनाओं के लिए परियोजना को प्रभावित करने वाले पर्यावरण/वन/वन्यजीव मंजूरी, रोड ओवर ब्रिज (आरओबी) और रोड अंडर ब्रिज (आरयूबी) के मुद्दों, संविदात्मक मुद्दों, भूमि अधिग्रहण, अतिक्रमण हटाने, कानून और व्यवस्था के मुद्दों, उपयोगिता सुविधाओं के स्थानांतरण आदि विभिन्न मुद्दों की बारीकी से निगरानी करता है। परियोजना निगरानी सूचना प्रणाली (पीएमआईएस) और डेटा लेक, भूमि राशि पोर्टल (भूमि अधिग्रहण के लिए) जैसे उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी की जाती है। इन मुद्दों का समाधान करने और परियोजनाओं का समय पर कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए निष्पादन एजेंसियों (जैसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई), राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (एनएचआईडीसीएल), सीमा सड़क संगठन (बीआरओ), राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) सरकारों के अधिकारियों सहित सभी हितधारकों के साथ मंत्रालय में विभिन्न स्तरों पर समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

*****